"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2008—श्रावण 3, शक 1930.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ -4-342/18/2004.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292-ग एवं 292-ङ. सहपठित धारा 433 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 339-क , 339-ख, 339-ग एवं 339-ङ., सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, संबंधित अगला संशोधन, विभाग के आदेश क्र. एफ-4-342/18/2004 दिनांक 26-03-2007 से प्रभावशील माना जावेगा परन्तु आश्रय शुल्क की गणना का परिवर्तित सूत्र अधिसूचना जारी दिनांक से लागू होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

नियम 10 के उपनियम (1) एवं (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् :-

" नगरीय क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी एवं समूह आवास में कालोनाइजर को प्रत्येक आवासीय कालोनी में कुल भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित करना होगा, यह भूमि नगर पालिक निगम /नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अथवा ऐसी संस्था को सौंपी जावेगी, जैसी कि राज्य सरकार निर्देश दे. संबंधित स्थानीय निकाय अथवा संस्था कालोनाइजर के उक्त 15 प्रतिशत भूमि के अविकसित भूमि की लागत मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करेगी. 15 प्रतिशत वही भूमि आरक्षित करना होगी, जो आवास निर्माण के लिए उपयुक्त हो, उक्त

आरक्षित भूमि का संबंधित निकाय/संस्था द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के पश्चात् ही अभिन्यास एवं विकास की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी. यदि कोई कालोनाइजर 15 प्रतिशत आरक्षित भूमि के एवज में आश्रय शुल्क देना चाहता है तब उसे विहित दर से ऐसा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा.

(एक) भूमि की लागत विहित दिशा निर्देश के आधार पर कलेक्टर द्वारा अवधारित की जायेगी, परंतु इस शुल्क की गणना उतने ही क्षेत्रफल के लिए होगी, जितना नगरीय स्थानीय निकाय प्राप्त करे.

(दो) परंतु कालोनाइजर का उस क्षेत्रफल के आवासीय कालोनी एवं समूह आवास में आश्रय शुल्क देने का विकल्प नहीं रहेगा, जिसमें कालोनाइजर 2 (दो) हेक्टेयर या उससे अधिक की कुल भूमि विकसित करेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक एफ -4-342/18/2004.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-07-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

Raipur, the 25th July 2008

NOTIFICATION

No. F-4-342/18/2004 .— In exercise of the powers conferred by Section 292-A, 292-B, 292-C and 292-E read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 339-A, 339-B, 339-C and 339-E read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Nagarpalika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998. This concerned further amendment shall be effective from the date of this office's order No. F-4-342/18/2004 dated 26-03-2007 but the changed calculation of shelter fee formula shall come into force from the date of this notification, namely :-

AMENDMENT

In the said rules :-

For sub-rule (1) and (2) of Rule 10 following sub-rule shall be substituted, namely :-

" In every residential colony and group housing in an urban area, the colonizer shall have to reserve 15% of the total land for the persons belonging to economically weaker sections. This land shall be handed over to Municipal Corporation /Municipal Council/Nagar Panchayat or to such institution as the state government may direct. The urban local body or the institution shall pay the cost of the reserved 15% land to the colonizer equal to the sum of undeveloped land. The 15% land which is reserved must be suitable for residential purpose. Sanction for layout plan and permission for development can be issued by the competent authority only when the advance possession of such land is taken over by the respective urban local body/institution. If any colonizer desires to pay shelter fee urban against 15% reserved land then he shall have to deposit such fee at the Prescribed rates compulsorily.

(One) The cost of the land shall be determined by the Collector on the basis of prescribed guidelines, but the calculation of this fee shall be done for the area of land which would be received by the urban local body.

(Two) But the colonizer shall have no option to pay shelter fee for such residential colony and group housing in which the colonizer would develop 2 (Two) hectare or more area of the land. "

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. K. KHAITAN, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.